कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 21(9)2025–26/विकास/प्रमुवसं/ दिनांक यथा ई–हस्ताक्षर

कार्यालय आदेश

राज्य योजना के अन्तर्गत जूलीफ्लोरा की छोटी झाडियों के साथ–साथ लेन्टाना,पंवाड,जंगली तुलसी,पारथेनियम इत्यादि आक्रामक प्रजातियों को हटाने हेतु मुख्य वन संरक्षकगणों से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट मद 4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01–वानिकी, 101–वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, 15–जूलीफलोरा उन्मूलन एवं स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का पुर्नवृक्षारोपण, 01– वनारोपण, 63–वृक्षारोपण में वर्ष 2025–26 हेतु निम्नानुसार बजट आंवटन किया जाता है।

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षक	आवंटित राशि (राशि रू.लाखो में)
1	मुख्य वन संरक्षक,कोटा	80.00
2	मुख्य वन संरक्षक,उदयपुर	80.00
3	मुख्य वन संरक्षक,जोधपुर	30.00
4	मुख्य वन संरक्षक,भरतपुर	80.00
5	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	10.00
6	वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाध परियोजना, अलवर	40.00
7	मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व,कोटा	50.00
8	मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव, उदयपुर	120.00
9	मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव,जयपुर	10.00
	योगः–	**500.00**

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये –

1. उक्त आंवटन में यदि में बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें। जिस जगह विकास कार्य कियान्वित किया जाना है उसका माइकोप्लान भी सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
4. बजट का उपयोग सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो, वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर उपापयन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमो के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमो/आदेशो की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियिमतताओ के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि आवंटित राशि का उपयोग करते समय एक योजना के कार्यो का अन्य योजनाओं के साथ ओवरलेपिंग न हो। मुख्य वन संरक्षकगण इसे व्यक्तिशः सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by T.J. Kavitha
Designation : Additional Principal Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.09.11 18:24:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17672927

7. चूंकि सभी मुख्य वन संरक्षकगण विभागाध्यक्ष है अतः योजनाओं का प्रबोधन (monitoring) अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करे।
8. वित्त(आय–व्ययक) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F.4(1)FD- I(1) BUGET/ 2021 दिनांक 30.03.2021 में दिए गए निर्देशो के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
9. कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति मासिक रूप से प्रस्तुत की जावे।
10. वन विकास कार्यो को यथाशीध्र प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित किया जावे।

(टी.जे.कविथा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ 21(9)2025–26/विकास/प्रमुवसं/ दिनांक यथा ई–हस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,राजस्थान,जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक,जोधपुर/भरतपुर/कोटा/अजमेर/ उदयपुर/ वन्यजीव,उदयपुर/ वन्यजीव,जयपुर/ वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,सरिस्का बाध परियोजना,अलवर/ मुख्य वन संरक्षक,वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व,कोटा ।
3. वित्तीय सलाहकार वन विभाग, जयपुर
4. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/रक्षी पत्रावली

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(विकास)
राजस्थान,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by T.J. Kavitha
Designation : Additional Principal Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.09.11 18:24:09 IST
Reason: Approved